

द्वारा:- रजिस्टर्ड पोस्ट/पावती  
संदर्भ संख्या: प.क्षे.पा.प्र.-1/पी.एम.एस./306

सेवा में,  
श्री संजय नामदेव काटोले,  
मु. लोहारा.पो.लो.सावंगा.  
त. नरखेड . जि: नागपुर – 441304  
मो. 9765860374

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवश्यक जानकारी ।

महोदय,  
आपका आर टी आई अर्जा दिनांक 17.04.2023, जो जन सूचना अधिकारी पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1 के कार्यालय में दिनांक:27.04.2023 को प्राप्त हुआ है, आरटीआई आवेदन द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नानुसार प्रस्तुत है:

क्र .	चाही गई जानकारी	जवाब
1.	अतिरिक्त मैटेनन्स 765 के व्ही अतिरिक्त नुकसान झाड़े लिंबू ३० झाड़े बोर २६ झाड़े याचे अतिरिक्त फल झाड़ नुकसान पंचनामा प्रमाणे व अतिरिक्त फलझाड़े मूल्यांकन अहवाल दिनांक 21/06/2018/1539 मूल्यांकन बुलेट फाईलची सखोल चौकशी, कार्यवाही व सुनावणी बैठक घेऊन पावरग्रिड कड़े ।	पावरग्रिड द्वारा सन- 2018 मे आपके खेत में किसी प्रकार के संचरण लाईन से संबंधित मैटेनेंस का कार्य नहीं किया गया था । आपके खेत में किसी पेड़ का नुकसान पावरग्रिड द्वारा नहीं किया गया है । इसलिए श्री संजय नामदेव काटोले के नाम मुआवजा हेतु प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है ।
2.	नुकसान, CCTC मुआवजा बाकी तसेच ।	उपरोक्तानुसार गैरलागु ।
3.	अतिरिक्त फलझाड़े मूल्यांकन अहवाल प्रमाणे अतिरिक्त मोबादला देय/बाकी/शिल्लक/प्रलंबित आहे । तरीपन प्राप्त अहवाल वरून सत्य प्रकरण नस्तीबध्य नुसार स्पष्टीकरण छायांकित रितसीर प्रत मिलने बाबत ।	उपरोक्तानुसार गैरलागु ।

उपरोक्त जानकारी से संबंधित यदि आपको कोई अपील करना हो तो उसे पीआईओ के उत्तर की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी को किया जा सकता है ।

**अपीलीय अधिकारी का पता-**

श्री. आलोक, कार्यपालक निदेशक प.क्षे.-1  
पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,  
पश्चिम क्षेत्र-1, सम्प्रीति नगर, नारीरिंग रोड,  
पोस्ट -उप्पलवाडीनागपुर – 440026  
alok10103@powergrid.in  
दूरध्वनी क्रमांक - 0712-2641470



10.05.2023

(नितिन भोयर)

जन सूचना अधिकारी

पावरग्रिड, पश्चिम क्षेत्र -1, नागपुर

दूरध्वनी क्रमांक 0712- 2641484 (Extn no 1133)

ईमेल : [nitinbhoyar@powergrid.in](mailto:nitinbhoyar@powergrid.in)

प्रतिलिपि सादर सूचनार्थ:

- 1) कार्यपालक निदेशक पश्चिम क्षेत्र -1
- 2) वरि उपमहाप्रबंधक (वर्धा)